ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBBIL04292
RNI REG. NO. UPBBIL/2014/66218 PP. NO.- 99-101

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-11, No.-II, Issues-14 YEAR- Dec. -2019

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पत्रकार की हत्या एवं जानलेवा हमला

भारतेन्दु

शोध अध्येता– समाजशास्त्र विभाग, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया (बिहार) भारत

Received- 28.09.2019, Revised- 03.10.2019, Accepted - 08.10.2019 E-mail: tanishkshekhar@gmail.com

सारांश : *पत्रकारों की हत्याओं के 'ग्रॉफ' में भारत भी विश्व के 10 प्रमुख देशों की फेहरिस्त में शामिल है। कुल मिलाकर 1992 से अब तक 786 हत्याएँ हो चुकी है। कुछ अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएं (रिपोर्ट्स विदाउट बार्डर्स) भारत को तीन ऐसे देशों में माती है, जहाँ पत्रकारिता बेहद जोखिम भरा व्यवसाय बन गया है। इस विषय पर बात चली है तो चलें कलम के उन सिपाहियों को याद कर लें, जिन्होंने पंजाब में आतंकवाद के दिनों में प्राणों की आहुति दी। उन शहीद 98 पत्रकारों की उस फेहरिस्त में शिखर पर थे पंजाब केसरी के संस्थापक लाला जगत नारायण। लालाजी उस समय मात्र एक पत्रकार नहीं थे। वह स्वतंत्र पत्रकारिता की मिशाल थे। उन दिनों जब सरकारी तंत्र पूरी तरह ध्वस्त हो चुका था, लालाजी ने अपनी निर्भिक कलम के द्वारा आतंकवाद को चुनौती दी थी। सितम्बर 1982 में उन्हें शहादत मिली और उस शहादत के बाद भी पंजाब केशरी के निर्भिक तेवरों में कोई बदलाव नहीं आया। इसी क्रम में 12 मई, 1984 को अपने समय के महान पत्रकार एवं लालाजी की विरासत को सम्भालने वाले निर्भीक कलम योद्धा रमेश चन्द्र ने अपनी शहादत दी।*

कुंजी शब्द – पत्रकारिता, जोखिमभरा, आतंकवाद, सरकारीतंत्र, निर्भिक तेवर, विरासत, शहादत, आहुति।

वे दिल आतंकवाद और निर्भिक कलम के मध्य आर–पार की लड़ाई के दिन थे। 1987 में भी पंजाब केसरी परिवार के पत्रकार नरेन्द्र सिंह पाल आहुति देकर चुकाना पड़ा। एक अन्य पत्रकार के.एल. कमलेश को आतंकवादी हमले के कारण लगभग नौ माह अस्पताल में रहना पड़ा। 1988 में भी इसी संस्थान के चार कर्मियों को शहादत देनी पड़ी। समाचार सम्पादक इंद्रजीत सूद भी आतंकवादियों के हमले में शहीद हुए। मुख्य उपसम्पादक बेअंत सिंह और दो संवाददाताओं जगजीत सिंह और प्रद्युम्न सिंह ने भी शहादत दी। जून 1983 में दैनिग वीर प्रताप में आतंकवादियों द्वारा भेजे गए एक पार्सल बम से अखबार के दो कर्मी शहीद हो गए। इसी फेहरिस्त में फरवरी 1984 में प्रीतलड़ी के सम्पादक सुमित सिंह, अकाली पत्रिका के ज्ञानी जगजीत सिंह, नक्सली पत्रकार बलदेव सिंह मान और अनेक अन्य संवाददाता आतंकवादियों की गोलियों का निशाना बने। फिरोजपुर के निर्भिक पत्रकार सत्यपाल बागी को निर्भिकता' के कारण अपने युवा बेटे की बलि देनी पड़ी।

पत्रकार और एके–47 के मध्य लड़ी गई इस जंग में एके–47 को आखिर हार माननी पड़ी। इन्हीं दिनों में आतंकवाद का शिकार वे लोग भी बने जो समाचार पत्र विक्रेता था। पंजाब केसरी समूह की प्रकाशन संख्या उन दिनों तीन लाख से भी अधिक थी। 16 समाचार पत्र विक्रेताओं एवं हॉकरों को भी अपने प्राणों की कुर्बानी देनी पड़ी थी। उन दिनों इस समूह के प्रमुख समाचार पत्रों की एजेंट संख्या 1000 से भी अधिक थी। 150 एजेंट को रोज–रोजग के आतंकवादी हमलों से तंग आकर यह धंधा ही छोड़ना पड़ा। लगभग एक हजार हॉकर भी काम छोड़ गए लेकिन ऐसे विपरीत हालतों में भी पंजाब केसरी समूह के कलम युद्ध को निर्भीकतापूर्वक जारी रखा। हॉकरों, एजेंटों और अखबार ले जाने वाली टैक्सियों के चालकों ने कड़ी पुलिस सुरक्षा के मध्य दिलेरी के साथ अपने कर्तव्य का वहन किया।

इन्हीं एजेंटों, हॉकरों, संवाददाताओं, सम्पादन कर्मियों और मानव पत्रकारों के बलिदानों की बदौलत ही कलम की निर्भिकता आज भी सगर्व जिन्दा है। ये वे दिन थे जब वर्तमान सांसद एवं पंजाब केसरी, दिल्ली के सम्पादक अश्विनी चोपड़ा एवं उनके परिवार को भी दिल्ली से कलम का शंखनाद करना पड़ा। कड़ी 'जेड प्लस' सुरक्षा में भी अश्विनी चोपड़ा की कलम निरंतर आतंकवाद के खिलाफ शब्दों की आग उगलती रही। ये वो दिन थे, जब प्रशासन भी हथियार डाल देता था। इन पंक्तियों का लेखक भी तब एक दैनिक समूह से जुड़ा हुआ था। निरंतर मिलती ध मकियों एवं एके–47 के बार–बार हमलों के बाद उस समय आईजी–स्तर के एक अधिकारी ने अधिकांश रूप से आग्रह किया था कि यह पत्रकार सपरिवार पंजाब छोड़ दें वरना उसके कारण कई अन्य निर्दोषों को भी प्राण देने पड़ सकते थे।

ये वो दिन थे जब आधुनिक हथियारों से रक्षित सरकारी तंत्र के लोग भी अपना मनोबल खो बैठे थे मगर कलम की निर्भिकता को दुर्दात आतंकवादी संगठन दबा नहीं पाए थे। चंडीगढ़ में आकाशवाणी के निदेशक राजेन्द्र कुमार तालिब को दिसम्बर 1992 में सिर्फ इसलिए गोलियों

अनुरूपी लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-11, No.-II, Issues-14 YEAR- Dec. -2019

से भून दिया गया कि वह अपने प्रसारणों में आतंकवादियों के लिए आतंकवादी शब्द का ही प्रयोग करते थे। उन दिनों आतंकवादी संगठन हावी थे। अब माफिया तंत्र हावी है मगर निर्भीक कलम न टुटी थी, न अब कमजोर पड़ी है। वैसे पत्रकारों पर हमलों का यह क्रम विश्वव्यापी हो चला है। इस क्रम में पड़ोसी पाकिस्तान में भी निर्भीक पत्रकारों की हत्याओं का सिलसिला जारी है। अन्य जिन देशों में ऐसी घटनाओं में एकाएक वृद्धि हुई है। उनमें इराक, फिलीपींस, अल्जीरिया, कोलम्बिया, सोमालिया, ब्राजील, मैक्सिको एवं रूस भी शामिल है। फ्रांस के कार्टून पत्रकारों पर हुए हमले भी इतिहास के पृष्ठों में दर्ज हो चुके हैं।1 उनमें सर्वाधिक जोखिम उन पत्रकारों को उठाना पड़ता है, जो कस्बों या छोटे शहरों में कार्यरत रहते हैं। यह दिक्कत यह भी है कि पुलिसिया मानसिकता में कोई बदलाव नहीं आया। जंगलराज का सिलसिला अब भी जारी है। कई स्थानों पर पुलिस एवं माफिया तंत्र के लोगों ने पूर्ण मिली भगत के प्रमाण भी मिले हैं। 11 जून 2011 को मुम्बई के पवई क्षेत्र में खोजी पत्रकार ज्योतिर्मय डे की हत्या इसी लचर व्यवस्था का ही प्रमाण थी।''2 इसी वर्ष 12 मई को झारखण्ड के चतरा जिले में भी पत्रकार अभिलेख प्रताप सिंह की हत्या भी ऐसे तंत्र का ही देन थी।''3 इन शहीद पत्रकारों में 81 का संबंध प्रिंट मीडिया से था जबकि 11 टीवी पत्रकार थे। गर्व की बात यही है कि ''माउस'' और 'कैमरा' बदस्तुर अपने मिशन में लगे हुए हैं। यही कारण है कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ है, एक ऐसा स्तम्भ जिसपर शहादत की नाम– पट्टिकाएं लम्बी होती जा रही है। कलम और आतंक के बीच टकराव का यह सिलसिला स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व भी चलता था। तब जंग विदेशी साम्राज्यवाद के खिलाफ और अपने राष्ट्र की आजादी पर केन्द्रित थी। उन दिनों राष्ट्रीय स्तर पर बाबू बालमुकुद गुप्त, माखन लाल चतुर्वेदी, गणेश शंकर विद्यार्थी, विष्णु पराड़कव, लोकमान्य तिलक सरीखे पत्रकार अपनी कलम से पूरे साम्राज्यवाद की नींद उड़ा देते थे। इधर पंजाब में लाला लाजपत राय, महाशय कृष्ण जगनारायण, श्री रमेश, वीरेन्द्र, नरेन्द्र आदि पत्रकारों की कलम आग उगलती थी। मगर अब तो अपने ही स्वतंत्र भारत में अपने ही पुलिस तंत्र एवं राजनीतिक तंत्र के साए में पलने वाले माफिया तंत्र से जूझना पड़ता है। यहां हम पत्रकारों पर कुछ और हमलों का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं।

बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री सह जमालपुर के विधायक शैलेश कुमार के विधानसभा क्षेत्र जमालपुर में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ खतरे में है। पत्रकार अपने आप को असुरक्षित मान रहे हैं। यहां आए दिन पत्रकारों को जहां जान से मारने की धमकी दबंगों द्वारा दी जा रही है, वहीं पत्रकारों के साथ खुलेआम सरेआम मारपीट तथा फर्जी केश कर फंसाया जा रहा है। एक आंकड़ों की बात करें तो मंत्री जी के क्षेत्र में कुछ माह के अंदर आठ पत्रकार के साथ घटना घटी इसमें से कुछ घटनाओं में तो मंत्री जी के प्रतिनिधि का सीधे तौर पर हाथ बताया गया है, जिसमें मंत्रीजी का सफेद चेहरा पर भी दाग लगा है।4

हालांकि जमालपुर के दैनिक आज के पत्रकार गंगा रजक के साथ घटना घटित हुई, वे प्रतिदिन की तरह साइकिल से समाचार संकलन को जा रहे थे कि हैप्पी बैकरी के प्रोपराइटर मनीष कुमार ने उन पर जानलेवा हमला किया। यह घटना सरेआम जमालपुर बाजार में घटित हुई। दबंगों ने पत्रकार से मारपीट करने के साथ कहा मुकदमा करोगे तो जान से हाथ धोना पड़ जाएगा। घटना में पत्रकार गंगा रजक पूरी तरह से घायल हो गए। घायल अवस्था में अपनी फरियाद लेकर गंगा आदर्श थाना जमालपुर गए और थानाध्यक्ष को वस्तु स्थिति से अवगत कराया। थानाध्यक्ष सुनील कुमार ने अविलंब घायल पत्रकार के उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जमालपुर भेजा। पत्रकार गंगा रजक ने थाना को दिए आवेदन में कहा है उनके द्वारा पिछले दिनों लोकल बेकरी बढ़ा रहा संक्रमण नाम के शीर्षक से खबर लिखी थी। इसके कारण बेकरी के स्वामी ने सुबह जब मैं समाचार संकलन के लिए सदर बाजार इलाके से आ रहा था, तो उन्होंने मुझे साइकिल से धक्का देकर मेरे साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया। उन्होंने मुझे जातिसूचक शब्द लगाकर भी गालियां दी। इस संबंध में जमालपुर थाना प्रभारी सुनील कुमार ने कहा कि आवेदन के आलोक में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। जांच कर उचित कारवाई की बात कही। इसके पूर्व जिले के सबसे चर्चित पत्रकार के एम.राज जब जमालपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास की कमजोर कड़ी तथा भ्रष्टाचार को लोगों के माध्यम से आयना दिखाना शुरू किया तो मंत्री आग बबुला होते हुये अपने रिश्तेदार सह मंत्री प्रतिनिधि कहे जाने वाले वलीपुर जमालपुर निवासी गोपाल कृष्ण से फर्जी केस थाना पहुंच एवं पैरवी के दम पर करवा कर कलम के सिपाही के स्याही को सच्चाई लिखने से रोका नहीं गया, बल्कि उसे सरकार की ताकत का ऐहसास करवाते हुए अखबार से निकलवाने में दम खम से जूट गये और पत्रकार एवं इनके परिवार को जाम से मरवाने की साजिश रचने लगे। पर भला हो मुंगेर पुलिस के वरीय पदाधिकारी का जो मंत्री जी के राजनैतिक सोच को समझ पत्रकार के.एम.राज के उपर हुये फर्जी केश में उचित न्याय

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-11, No.-II, Issues-14 YEAR- Dec. -2019

करने की बात कहीं। ये मामला थमा ही नहीं था कि जमालपुर विधान सभा क्षेत्र के धरहरा थाना क्षेत्र में हिन्दुस्तान के पत्रकार शशिकांत सुमन के नाबालिक पुत्र को फर्जी केस में फंसाने के लिये हाजत में थानाध्यक्ष देवगुरू देव ने बंद कर कलम के सौदागर के कलम के दायरा को बांधने का प्रयास किया। पर जिले के तेज तर्रार पुलिस कप्तान बाबूराम ने थानाध्यक्ष की मंशा को समझ लिया और जमकर थानाध्यक्ष की क्लाश लगाते हुए पत्रकार के नाबालिग पुत्र को छोड़ने का आदेश दे अपनी साफ सुथरे छवि का परिचय दिया। इसके अलावे जे.के. न्यूज के पत्रकार अभिजित सानू को एस.टी.एफ. के द्वारा पिटाई का मामला काफी दिनों तक जमालपुर में सुर्खियों में रहने के बावजूद मंत्रीजी मौनी बाबा बने रहे। जैसे–तैसे पत्रकार, पत्रकार मंडली के सहयोग से मामले को शांत तो किया पर दोषियों पर कोई कार्रवाई मंत्री जी या पुलिस पदाधिकारी के तरफ से नहीं होने से मामले पर नीपा पोती हो गया। परिणाम यह हुआ कि फिर जमालपुर विधानसभा के खड़गपुर में नई बात तथा प्रभात खबर के पत्रकार मनोज खिड़हरी एवं प्रमोद सीध ाामियां को झूठा केस में फंसा दिया गया। इतना ही नहीं न्यूज 18 के पत्रकार अरूण शर्मा के बाइक की चोरी सहित दैनिक जागरण के पत्रकार मिथिलेश मंडल की बाइक, लैपटॉप मोबाइल का छीनतई जैसी घटना जमालपुर विध ाानसभा की पहचान बना। दुर्भाग्य की बात तो यह हुआ कि किसी भी मामले में मंत्री जी ने पत्रकार के पक्ष में खड़ा होना आवश्यक नहीं समझा। जिससे पत्रकार बिरादरी में मंत्री जी के प्रति काफी रोष आक्रोश मार्च में देखने को मिला।5

इसी तरह छत्तीसगढ़ के रायपुर में मीडियाकर्मियों पर हमला हुआ। पत्रकारों के साथ दुव्यर्वहार आम बात हो गई है। इसके कारण मीडियाकर्मी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं।6

इसी तरह निजी चैनल के पत्रकार विजय कुमार झा पर असामाजिक तत्वों ने जानलेवा हमला किया। हमले में पत्रकार के चेहरे और नाक पर काफी चोटें आयी है। घटना के संबंध में कहा गया है कि विजय बाइक से बुद्धा कॉलोनी पटना थाना अंतर्गत पीएनटी कॉलोनी स्थित अपने कार्यालय जा रहे थे। इसी बीच पीएनटी कॉलोनी में उनके कार्यालय से कुछ पहले ही पास लेने के दौरान एक बाइक सवार युवक से बकझक हो गई। इसके बाद युवक ने अपने साथियों को बुलाकर पत्रकार की बाइक को सड़क पर गिरा दिया और मारपीट करने लगे। इस दौरान लैपटॉप बैग को जमीन पर पटक दिया और मोबाईल तोड़ दी। घटना के बाद विजय ने बुद्धा कॉलोनी थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी। पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए चार युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।7

इसी तरह खबर संकलन कर रहे जी न्यूज के संवाददाता मुकेश कुमार के साथ डीआईयू की टीम ने बदसलूकी की। अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी और गोलीबारी की खबर मिलने पर जब पत्रकार मुकेश कुमार घटना स्थल पर पहुंचे तो डीआईयू की टीम ने न सिर्फ उन्हें रोका बल्कि बदसलूकी भी की। पत्रकार मुकेश कुमार ने इस प्रकरण की जानकारी जहानाबाद एसपी को दी। इस संबंध में पत्रकार ने बताया कि सूचना मिली थी काको थाना क्षेत्र के अलगना गांव में गोलीबारी हुई है। सूचना के खबर संकलन करने गये मुकेश कुमार जब वहाँ पहुंचे तो देखा की डीआईयू की टीम शराब के खिलाफ छापेमारी कर रही है। उसने कैमरा के माध्यम से खबर से कलम करने लगे तो छापेमारी में शामिल डीआईयू टीम में शामिल पुलिसकर्मी पत्रकार को खबर संकलन से रोकने लगे। जब पत्रकार मुकेश ने पूछा कि आखिर खबर संकलन करने से उन्हें क्यों रोका जा रहा है। इसके बाद डीआईयू की टीम में शामिल पुलिसकर्मी उनके साथ बदसलूकी और खबर संकलन करने से रोक लगा दी। जब पत्रकार ने इसी सूचना एसपी जहानाबाद को दी तो उन्होंने जांच करने की बात कही। पत्रकार मुकेश कुमार ने घटना की जानकारी संगठन के सदस्यों को दी। संगठन के सदस्यों ने घटना के प्रति तीव्र आक्रोश व्यक्त किया है।8

उपरोक्त तथ्यों से ज्ञात होता है कि पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं जो भारत जैसे प्रजातांत्रिक देश के लिए अशुभ है। अतः पुलिस एवं प्रशासन को इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ऐसी घटनाओं का कड़ा विरोध किया जाना चाहिए और हमले के दोषी पर कठोर कारवाई की जानी चाहिए, समाज के लोगों के लिए काम करनेवाले पत्रकारों को भी आम लोगों का साथ मिलना चाहिए, जिससे ऐसी घटनाओं पर लगाम लग सके।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. केवल सचः हिन्दी मासिक पत्रिका, पृ.166, 2016
2. वही, पृ.167
3. वही, पृ.167
4. केवल सचः हिन्दी मासिक पत्रिका, पृ.62, अक्टूबर 2018
5. वही, पृ.63, अक्टुबर 2018
6. प्रभात खबर, पटना, 27 फरवरी 2019
7. हिन्दुस्तान, पटना, 04 मार्च 2019
8. आज, जहानाबाद संस्करण, पृ.3, 18 मार्च 2019

*****